समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 09 September 2026

वाराणसी : दालमंडी मे निकला ‘आई लव मोहम्मद’ जुलूस, चौक और लोहता पुलिस ने चार गिरफ्तार

CL SAINI

Published on 27 Sep 2025

[illegible] | [illegible] | [illegible]

वाराणसी, भदैनी मिरर। कानपुर से शुरू हुआ ‘आई लव मोहम्मद’ जुलूस का विवाद अब वाराणसी तक पहुँच गया है। बरेली में बवाल के बाद वाराणसी प्रशासन पूरी तरह सतर्क था, बावजूद इसके शुक्रवार को अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र दालमंडी में भी बिना अनुमति के जुलूस निकाला गया। इस पर चौक और लोहता पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

चार गिरफ्तार, मुकदमा दर्जडीसीपी काशी जोन ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपितों में हड़हा सराय निवासी **अजहर मलिक**, लल्लापुरा माताकुंड के **नफीस अहमद**, दालमंडी निवासी **आदिल** और चौक क्षेत्र वादी टोला निवासी **इरफान** शामिल हैं। पुलिस ने चार नामजद और 10 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

पुलिस का कहना है कि वीडियो फुटेज और सीसीटीवी कैमरों की मदद से अन्य आरोपितों की पहचान की जा रही है। जल्द ही बाकी लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा।

गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में वाराणसी के कई इलाकों में ‘आई लव मोहम्मद’ जुलूस निकाला गया। इनमें लल्लापुरा, मदनपुरा, रेवड़ी तालाब और लोहता थाना क्षेत्र के कोटवां शामिल हैं। इन घटनाओं के बाद से ही पुलिस प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए चौकसी बढ़ा दी है।

उधर, लल्लापुरा में निकाले गए जुलूस के मामले में **सिगरा पुलिस ने शनिवार को आठ लोगों को गिरफ्तार किया** है। पुलिस का कहना है कि किसी भी तरह की धार्मिक या राजनीतिक रैली/जुलूस के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक है। बिना अनुमति के जुलूस निकालना कानूनन अपराध है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि शहर की गंगा-जमुनी तहज़ीब को बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस लगातार गश्त और ड्रोन निगरानी कर रही है, ताकि संवेदनशील क्षेत्रों में शांति व्यवस्था कायम रहे।

पुलिस अधिकारियों ने अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति-सौहार्द बनाए रखें। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/CL SAINI, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.